रामराव और अन्य

बनाम

ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास बैंक एम्प्लॉइज वेल्फेयर संस्था एंड ऑर्स।
5 जनवरी, 2004

[एस. बी. सिन्हा और अरुण कुमार, जे. जे.]

सेवा कानून;

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की निय्क्ति और पदोन्नति) नियम, 1981- पदोन्नति-अधिकारियों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के पद-पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि का निर्धारण-अन्सूचित जनजाति के क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के क्छ पद का आरक्षण- पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार-पात्र अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता-प्राधिकारियों द्वारा अनारक्षित आरक्षण के लिए प्रस्ताव-सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारिक्षत पद पर निय्क्ति-कट-ऑफ तिथि को च्नौती देने वाली रिट याचिका-अन्य याचिका जिसमें नियत की गई कट-ऑफ तिथि तथा पदोन्नति आदेश को च्नौती दी गई लेकिन पदोन्नत तथा प्राधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया-उच्च न्यायालय ने कट-ऑफ तिथि को वैध माना तथा बैंक द्वारा अनारक्षण के लिए अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इस प्रकार, योग्य अन्सूचित जनजाति अभ्यर्थी की उपलब्धता की जांच करने उन्हें खुली श्रेणी में अनारिक्षत पद पर पदोन्नति देने के लिए निर्देशित किया गया- अपील पर, अनारिक्षित नीति को चुनौती नहीं दी गई - पदोन्नत पक्षकार नहीं बनाये गये-अनारक्षण किया गया और रिक्तियां खुली श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरी गई - क्या कोई योग्य अनुस्चित जाति का अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध है या नहीं, यह तथ्य का सवाल है- हालांकि कट ऑफ तिथि तय किया जाना मनमाना नहीं है, यह वैद्य है।

पदोन्नत कट-ऑफ तिथि-पात्रता के लिए निर्धारण-जब अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है-

निर्धारित किया गयाः जब नियोक्ता के द्वारा निर्धारित की गई कट-ऑफ तिथि, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है- इसके अलावा वर्गीकरण से संबन्धित वर्ग के भीतर एक वर्ग नहीं बनता है या अनुच्छेद 14 उल्लंघन करने वाले एक कृत्रिम वर्गीकरण- साथ ही कट ऑफ तिथि को गलत पक्ष के भीतर आने वाले कुछ व्यक्तियों या संप्रदाय समाज द्वारा कठिनाईयों का सामना किया जाना भारतीय संविधान १९५० के अनुच्छेद १४ के अधिकार से बाहर नहीं होगी- अनुच्छेद १४

प्रतिवादी-मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक ने अधिकारियों क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के पदों पर आंतरिक पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड संबंधी एक परिपत्र जारी किया। बैंक के निर्देशन मंडल ने अधिकारियों के २५ पद क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के लिए ४५ पद पदोन्नति से भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी पात्रता के लिए अंतिम तिथि दिनांक ३१-०८-१९८९ निर्धारित की गई ।

पदोन्नति से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की निय्क्ति और पदोन्नति) नियम, 1981 के तहत नियंत्रित किया जाना है। इसके अलावा, इसे वरिष्ठता सहयोग्यता के सिद्धांत पर भी किया जाना था। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के 45 पदों में से 13 पद बेकलाॅक सहित अन्सूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1- उम्मीदवार ने ३१-०८-१९८९ की अंतिम तारीख को चुनौती देते ह्ए रिट याचिका दायर की उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया कि नियुक्ति रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी। इस बीच योग्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। इसके अलावा, चूंकि अन्सूचित जनजाति अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों अनारक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और नाबार्ड ने आरक्षण रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अन्सरण में ख्ली श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षित पद पर पदोन्नत किया गया एक ए ने भी रिट याचिका अंतिम दिनांक या पदोन्नति के आदेश को चुनौती देते ह्ए पेश की। हालाँकि इन रिट याचिकाओं में न तो अपीलकर्ता प्रत्यर्थी न ही भारत संघ या नाबार्ड को पक्षकार के रूप में शामिल किया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि अंतिम तिथि निर्धारण वैध था; और बैंक ने अपेक्षित प्रक्रिया या अनारक्षण का पालन नहीं किया, इसलिए बैंक को अभिनिर्धारित किया गया कि

अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी उम्मीदवारों के जाति दावे की जांच करें और जो पदोन्नत होने के योग्य पाये गये ऐसे पदों के खिलाफ नियुक्त खुली श्रेणी से उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाये इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपीलकर्ताओं -प्रोमोटि ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपेक्षित निर्णय को पारित करने में गलती की क्योंकि रिट याचिकाओं में न तो उन्हें पक्षकार के रूप में प्रस्तुत किया गया और न ही अनारक्षित करने का आदेश प्रश्न में था।

संस्था ने दलील दी कि हालांकि उन्होंने पदोन्नित के आदेश को चुनौती नहीं दी है लेकिन एक ए के द्वारा ऐसा किया गया है इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया है; कि 29 रिक्तियां बैंक में मौजूद थीं, अपीलार्थी भी अनुसूचित जनजाति के थे उन पदों पर समायोजित किया गया था बैंक द्वारा अंतिम तिथि निर्धारण कर मनमानी की गई है इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है।

बैंक ने तर्क दिया कि अनारिक्षत किये जाने की अपेक्षित प्रक्रिया की अनुपालना की गई है उच्च न्यायालय ने अपेक्षित आदेश पारित कर गलती की है बैंक के नीतिगत निर्णय जो उम्मीदवार शक्ति योजना मानदण्ड का क्रियान्वयन से संबंधित है, जो अधिकारियों संवर्ग में

उम्मीदवार शक्ति जोड़ने के खिलाफ है बैंक के संचित नुकसान के कारण प्रमोटि एसोसिएयशन योग्य सदस्यों को समायोजित कर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

न्यायालय ने पदोन्नति की अपील स्वीकार करते हुए एसोसिएयशन की अपील को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

- 1.1 बैंक द्वारा अपनाई गई आरक्षण नीति को किसी विशेष चुनौती के अभाव में उच्च न्यायालय उस प्रश्न पर नहीं जा सका है। यह सच है कि उच्च न्यायालय बाद की घटनाओ पर विचार करने का हकदार है, लेकिन राहत देने के उद्देश्य से वह केवल एक प्रासंगिक कारक हो सकता है लेकिन इस तरह की राहतों को गढ़ने के समय उच्च न्यायालय राहत देने पर विचार नहीं कर सकता था, जबिक पक्षों की दलीलों में तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया था।
- 1.2 पदोन्नित के आदेश को ए द्वारा दायर रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। इसके अलाव ए और संस्था द्वारा दायर रिट याचिका में, अनारक्षण के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और न ही पदोन्नित लेने न ही भारत संघ न ही नाबार्ड को पक्षकार बनाया गया था किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना इस प्रकार, उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश जारी किया गया है जो कानून की नजर में गलत है। अपीलकर्ता पदोन्नित पाने वाले इस अपेक्षित निर्देश के मध्यनजर कि उनके पक्ष में

पारित पदोन्नित के आदेश वापस ले लिए जाए, आवश्यक पक्षकार थे। इसलिए, पक्षकारों के रूप में उनकी अनुपस्थिति में रिट याचिका पर प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं किया जा सकता था और उच्च न्यायालय के लिए इस प्रकार के निर्देश जारी किये जाने की अनुमित नहीं थी।

1.3 एक बार अनारिक्षित होने के बाद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हो गईं और प्रतिवादी बैंक को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अनारिक्षित रिक्तियाें की नियुक्ति के लिए उपलब्धता के प्रश्न पर प्रतिप्रश्न करना आवश्यकता नहीं था इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया विचार कि अनारक्षण होने के बाद बैंक को अनारिक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की उपलब्धता के लिए प्रतिप्रश्न किया जाना आवश्यक था, सही नहीं है जब बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 31.8.1989 सही ढंग से निर्धारित की गई है।

1.4 उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया कि क्या बैंक ने खंड 7.7 की आवश्यक प्रिक्रिया की अनुपालना की जो कि अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति के आरक्षण के आदान-प्रदान से संबंधित है। प्रश्न यह है कि क्या कोई योग्य अनुस्चित जाति के अभ्यर्थी अधिकारी के पद के पदोन्नित के लिए उपलब्ध था या नहीं यह तथ्य का आवश्यक प्रश्न है। इसलिए उच्च न्यायालय के पास इसे अनिवार्य करने का अधिकार नहीं था।

- 1.5 उच्च न्यायालय अपने विवादित फैसले में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संस्था बैंक के पदाधिकारियों द्वारा अंतिम तिथि निर्धारण में दुर्भावना साबित करने में असफल रहा है। याचिका में द्वेषता की दलील को विशेष रूप से अभिकथित किया जाना था और साबित भी किया जाना था जिसका रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुपालना नहीं किया गया है।
- 1.6 यह दलील कि अपीलकर्ताओं और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को इस तथ्य के मध्यनजर समायोजित किया जा सकता है कि 29 पद रिक्त पड़े हैं, यह भी ऐसा मामला नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा प्रथम बार निर्णित किया गया है। बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जनशक्ति नियोजन मानदंडों के कार्यान्वयन में अपने नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए जो अधिकारी संवर्ग में जनशक्ति जोड़ने के खिलाफ है; और बैंक के संचित खंड के कारण, वे अधिकारी के पद पर आगे कोई पदोन्नित करने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए यह न्यायालय अपने स्वयं के नीतिगत निर्णय का उल्लंघन करते हुए बैंक को अपने नीतिगत निर्णय के बदलने अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है। इस मामले में उचित निर्णय लेना प्रायोजक बैंक और नाबाई दोनों पर निर्भर करता है।
- 2.1 पदोन्नित के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए नियोक्ता को एक तिथि निर्धारित करनी आवश्यक थी। जब तक निर्धारित हुई अंतिम तिथि

मनमानी अनुचित नहीं माना जाता है, वह संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन में अपास्त नहीं किया जा सकता है। मौजूदा मामले में, निर्धारित की गई अंतिम तिथि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी इसलिए अतार्किक, मनमानी, सनकी नहीं कहा जा सकता है।

2.2 यदि एक अंतिम तिथि निर्धारित की जा सकती है और जो लोग उसके दायरे में आते हैं वे अलग-अलग वर्ग बनाये गये, इस तरह के वर्गीकरण का उद्देश्य के साथ उचित संबंध है, जिसे कर्ताओं को पदोन्नत करने का निर्णय बैंक द्वारा पारित किया जा सकता है ऐसा वर्गीकरण एक ही श्रेणी में वर्ग बनाना कृत्रिम वर्गीकरण किया जाकर संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करने के अंतर्गत नहीं आता है, इसके अलावा एक प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति इसलिए पीड़ित हो सकता है क्योंकि वह अंतिम तिथि के गलत दायरे से गया है लेकिन तथ्य यह है कि कुछ व्यक्ति या समाज का एक वर्ग ऐसी कठिनाइयों काे देख सकते हैं यह इसलिए अंतिम तिथि निर्धारण का संविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार मनमाना मानने का कारण नहीं हो सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी और ओआरएस, [1996] 10 एस.सी.सी. 536; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. मोनतोश रॉय और अन्न, [1999] 2 एस.सी.सी.71 और उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ए.पी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. आर. वरप्रसाद और ओअएस, [2003] 4 सर्वोच्च 245, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 4593-4594/2002

औरंगाबाद में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक डब्ल्यू. पी. सं. 255 और 1990 के डब्ल्यू. पी. सं. 1551 के साथ सी. ए. सं. 4595-96 और 4597/2002 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 10.8.2001 से।

वी. एन. गणपुले, आर. एस. हेगड़े, सुश्री सावित्री पांडे, दिनेश पी, पी. पी. सिंह, उपस्थित दलों के लिए बी. के. पाल, सपम विश्वजीत मेइते, अशोक कुमार सिंह और श्रीमती रचना जोशी इस्सार।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस. बी. सिन्हा, जे. 2002 की सिविल अपील सं. 4593-4594 और 4595-4596/2002 अपीलकर्ताओं द्वारा (इसके बाद परोमोटि के रूप में संदर्भित) निर्णय और आदेश दिनांक के खिलाफ विशेष अनुमित आवेदन दायर करने की अनुमित प्राप्त करने पर दायर की गई है। 10.8.2001 को उच्च न्यायालय बॉम्बे बेंच औरंगाबाद द्वारा रिट याचिका सं. 255/1990 में पारित किया गया। रिट याचिका संख्या 1551/1990 अखिल

भारतीय पिछड़ा वर्ग बैंक कर्मचारी कल्याण संघ (इसके बाद में एसोसिएशन के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई है जो उपरोक्त अपीलों में प्रतिवादी सं. 1 है और सिविल अपील सं. 4597/2002 में अपीलकर्ता हैं।

तथ्यः

पदोन्नति पाने वाला मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक (इसके बाद इसे बैंक कहा जायेगा)

एक वृत्ताकार सं.एच.आे./एस.टी./सी.आई.आर. नं 35/8 (159) दिनांकित 8.11.1988 को प्रतिवादी बैंक द्वारा अधिकारियों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के पदों पर आंतरिक पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंडों को अधिसूचित करते ह्ए जारी किया गया था। बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक १०-११-१९८९ को एक प्रस्ताव पारित कर अधिकारियों के 23 पदों और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के 45 पदों को पदाेन्नित दवारा भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके लिए पात्रता अंतिम तिथि ३१-०८-१९८९ निर्धारित की गई। वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को लागू करते हुए पदोन्नति की जानी थी। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के 45 पदों में से बेकलॉक सहित 13 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया। 27.11.1989 को या उसके आसपास प्रतिवादी बैंक ने रिक्तियों को अधिसूचित करते ह्ए क्रमांक एच. ओ./एस. टी./जी. आर. संख्या 43/89 वाला एक परिपत्र जारी किया।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा रिट याचिका सं. 255/1990 दायर की गई थी। जिसमें क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों और अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए अपने कर्मचारियों की पात्रता तय करने के लिए बैंक द्वारा निर्धारित 31.8.1989 की कट ऑफ तिथि पर प्रश्न उठाया गया था।

2.2 1990 को, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका में निम्नलिखित शर्तों में एक अंतरिम आदेश पारित किया

"प्रवेश से पहले नोटिस चार सप्ताह के भीतर वापसी किया जा सकता है। इस बीच प्रार्थना खंड (सी) के संदर्भ में अंतरिम राहत"

इसके बाद उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 2.2.1990 को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9.4.1990 के आदेश के अनुसार संशोधित किया गया, जिसमें निर्देश दिया गया कि नियुक्ति रिट याचिका परिणाम के अधीन होगी।

इस दौरान योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार 10.2.1990 से 15.2.1990 के बीच आयोजित किया गया था

यह तर्क दिया गया है कि ३१-०८-१९८९ की कटऑफ तारीख या उसके बाद भी क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए कोई भी पात्र अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, जिसमें बेकललॉग को भरना भी शामिल था इस प्रकार, निदेशक मंडल ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारिक्षित करने के लिए १७-०४-१९९० को एक संकल्प पारित किया। उक्त प्रस्ताव को अपेक्षित अनुमित के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ प्रायोजक बैंक और नाबार्ड को भी भेजा गया था, जिसमें कहा गया कि उक्त 13 आरिक्षित पदों की नियुक्ति के लिए कोई भी योग्य अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार नहीं था।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 13 रिक्तियों को अनारक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो पहले अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। नाबार्ड ने उक्त १३ रिक्तियों को अनारिक्षित करने की अनुमति भी दे दी।

अपीलार्थियों का तर्क यह है कि इस तरह के आरक्षण के कारण उक्त रिक्तियां सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने के लिए उपलब्ध हो गईं। उपरोक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, साक्षात्कार 10.2.1990 और 15.2.1990 के बीच आयोजित किया गया था। संस्था ने 1990 के डब्ल्यू. पी. 255 के रूप में चिहिनत रिट याचिका दायर की, जैसा कि यहां पहले देखा गया है कि केवल कट-ऑफ तिथि पर प्रश्न उठ रहा है। एक अन्य रिट याचिका श्री अशोक द्वारा दायर की गई थी, जिसे 1990 की रिट याचिका संख्या 1551 के रूप में चिहिनत किया गया था।

जिसमें कट-ऑफ तिथि पदोन्नित के आदेश पर भी प्रश्न उठाया गया था। हालांकि दोनों रिट याचिकाओं में न तो पदोन्नित पाने वाले और न ही भारत संघ या नाबार्ड को पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था। उक्त रिट याचिकाओं में आरक्षण के आदेश पर भी प्रश्न नहीं उठाया गया।

उच्च न्यायालय का निर्णयः

आक्षेपित निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने माना कि प्रतिवादी बैंक द्वारा तय की गई कट-ऑफ तिथि वैध थी। इसने आगे कहा कि उक्त कट-ऑफ तिथि तय करने में बैंक का कोई संदिग्ध उददेश्य नहीं था और उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय होने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है। संस्था द्वारा इस आशय का तर्क उठाया गया कि उक्त परिपत्र दिनांक 8.11.1988 को आरक्षण नीति को विफल करने के उद्देश्य से जारी किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि चयन पैनल के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अन्सूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों की निय्क्ति की गई थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही 31.12.1989 की कट-ऑफ तिथि के स्थान पर 31.3.1990 को ही लिया जाना था, लेकिन यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया था कि कोई भी अन्सूचित जनजाति का उम्मीदवार पात्र बन गया होगा।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अन्सूचित जनजाति के उम्मीदवारों को वर्ष 1994 के बाद कभी-कभी निय्क्त किया गया था, नियमों में निर्धारित छह साल की सेवा की आवश्यकताओं को बैंक द्वारा अपने लागू प्रस्ताव द्वारा माफ नहीं किया जा सकता था। हालांकि यह निष्कर्ष निकला कि आरक्षण नीति उक्त रिट याचिका में मुद्दा होने के कारण, उसमें उठायी गयी च्नौती का दायरा सीमित नहीं होना चाहिए। अनारक्षित करने के निर्णय के अनुसार संबंधित पदों पर खुली श्रेणी के उम्मीदवारों की निय्क्ति अनारिक्षत करने के म्ददे सहित बैंक द्वारा की गई बाद की कार्यवाही को ध्यान में रखते ह्ये, उच्च न्यायालय ने वाउचर में हैड में निहित अनारक्षित को अधिसूचित करने की आवश्यकताएँ का विश्लेषण करने के लिए आगे बढाया। बैंक ने संबधित श्रेणीयों के योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता के संबंध में नये सिरे से सर्वेक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, भले ही ऐसे उम्मीदवार कटऑफ तिथि पर उपलब्ध नहीं थे ऐसा देखा गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"इसलिए हम बैंक को क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों अधिकारी के पद पर पदौन्नति के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों की उपलब्धता की जांच करने का निर्देश देते हैं, जो १८-०४-१९९० से १७-०४-१९९१ तक साथ ही अगले २ वर्षों के दौरान पात्र हो गये। १७-०४-१९९३ ने ऐसे सभी उम्मीदवारों के सेवा रिकॉर्ड सहित जाति के दावों की जांच करके ऐसे आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग को भरने के लिए 3 वर्ष की अवधि बनाई ताकि वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को पूरा किया जा सके। यह अाज से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और जो अन्सूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार पात्र पाए जायेंगे उन्हें और/या अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जायेगी, जैसा भी मामला हो, और खुली श्रेणी के उम्मीदवार ऐसे पदों के विरुद्ध नियुक्त किये गये है, वे इन पदों को तुरंत खाली कर देंगे। हम स्पष्ट करते हैं कि आरक्षित पदों के विरुद्ध की गई नियुक्तियों को वापस लेते समय जो उम्मीदवार सबसे अंत में शामिल ह्ये थे वे पहले जायेंगे बैंक उनसे कोई राशि वस्लने का हकदार नहीं होगा। क्योंकि वे पहले ही उच्च पदों पर काम कर च्के हैं। नीचले पदों पर उनका वेतन निर्धारण नियमान्सार किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिन्हें इस प्रकार पदोन्नत किया जायेगा कि वे वेतन में बकाया का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन संबंधित ग्रेड वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए, पदोन्नति की तारीख की गणना की जाएगी।

पदोन्नतियों ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर प्रश्न उठाते हुए इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने पर अपील दायर की है। संस्था की अपील फैसले के उस हिस्से के खिलाफ है जिसमें बैंक द्वारा तय की गई कट ऑफ तारीख को वैध पाया गया है।

प्रस्तुतियाँ

पदोन्नित पाने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि रिट याचिकाओं में न तो उन्हें पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था और न ही अनारक्षित करने का आदेश प्रश्न में था।

इसके अलावा, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, दूसरी ओर संस्था का तर्क यह है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बैंक में 29 रिक्तियां मौजूद हैं क्योंकि संबंधित कर्मचारियों ने या तो इस्तीफा दे दिया है, बर्खास्त कर दिया गया है या उनकी मृत्यु हो गई है, अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर समायोजित किया जा सकता है। यह आग्रह किया गया था कि हालाँकि संस्था ने स्वयं पदोन्नति के आदेश पर सवाल नहीं उठाया था, लेकिन अशोक ने अपनी रिट याचिका में ऐसा ही किया था और इस प्रकार, उच्च न्यायालय को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने आक्षेपित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है।

इसके अलावा, बैंक के अन्य कर्मचारियों द्वारा यहां अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए 13 अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनका निपटारा भी विवादित फैसले पर या उसके आधार पर किया गया था। यह तर्क दिया गया कि बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क उठाने में सही नहीं था कि 31 दिसंबर, 1985 को अधिकारियों के पदों पर पदोन्नित के लिए कोई भी पात्र अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था, क्योंकि दो व्यक्तियों के नाम क्रमांक में दिखाई दिये थे विरष्ठता सूची के क्रमांक 67 एवं 87 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। यह तर्क दिया गया है कि आज तक लगभग 13 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अधिकारी के पद पर पदोन्नित के लिए उपलब्ध हैं और इस प्रकार, यह न्यायालय प्रतिवादी बैंक को मौजूदा रिक्तियों के खिलाफ अपीलकर्ताओं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को समायोजित करने का निर्देश दे सकता है। श्री गणपुले ने आगे कहा कि बैंक द्वारा तय की गई कट-ऑफ तिथि मनमानी थी और इसलिए, इसे उच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया जाना चाहिए था।

हालांकि, बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारा ध्यान २००२ की सिविल अपील संख्या 4597 में दायर जवाबी हलफनामे की ओर आकर्षित किया है। जिसमें अन्य बातों के अलावा यह कहा गया है:

"iv) याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर लाने के लिए मांगे गये अतिरिक्त दस्तावेजों के क्रम संख्या 5 में दस्तावेज़ ("31.12.1985 को वरिष्ठता सूची का उद्दरण"शीर्षक के तहत) भी पूरी तरह से भ्रामक है क्योंकि यह साम्रगी को दबाता है याचिकाकर्ताओं को यह तथ्य याद है कि उक्त सूची में क्रम संख्या 52 और 67 पर व्यक्तियों के नाम के सामने गलती से 'अनूसूचित जनजाति'का उल्लेख हो गया था, जिसे बाद में संबंधित व्यक्तियों श्री पेंडालवार शिवाजी रमन्ना और श्री तेहरा किरणसिंह गंगुसिंह को उचित नोटिस के बाद ही किया गया था। तदनुसार, इन व्यक्तियों को वर्ष १९९० में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में पदोन्नति के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था"।

यह आग्रह किया गया था कि आरक्षण रद्द करने के लिए सभी अपेक्षित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था और इस मामले को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की।

विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि बैंक के वर्तमान नीतिगत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, 'प्रवर्तकों'और संस्था के पात्र सदस्यों को समायोजित करते हुए कोई नियुक्ति करना संभव नहीं है और इस संबंध में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 3 में दिए गए निम्नलिखित कथनः

"3 (i) तत्काल विशेष अनुमित याचिका में यह गलती से दलील दी गई है कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को याचिकाकर्ता की स्थिति से छेडछाड किये बिना अधिकारियों के कैडर में पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है क्योंकि अधिकारियों के कैडर में रिक्तियां हैं। इस संबंध में, यह सम्मानपूर्वक प्रस्त्त किया जाता है कि यद्यपि, यह सच है कि एक या अन्य कारणों से क्छ अधिकारियों ने प्रतिवादी बैंक के साथ काम करना बंद कर दिया, लेकिन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा श्रू किये गये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मानव शक्ति मानदंडों के अन्सार, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ने अपने आदेश/ज्ञापन एफ. नं. 3/(24)/99 आर. आर. बी. दिनांक 22.1.2001 के तहत और प्रतिवादी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैठक में अपनाया गया, दिनांक 18.5.2001, प्रतिवादी बैंक के अधिकारी श्रेणी में जनशक्ति की कोई कमी नहीं है इसके विपरीत, उक्त श्रेणी में अतिरिक्त जनशक्ति मौजूद है।

(ii) आपके आधिपत्य द्वारा इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि प्रतिवादी बैंक का संचित घाटा 31.3.2001 को रूपये 53.47 करोड़ है। जनशक्ति नियोजन मानदंडों के कार्यान्वयन के मद्देनजर और प्रतिवादी बैंक के संचित घाटे को देखते हुए,याचिकाकर्ता का अन्य बातों के

साथ-साथ, रिक्त पदों की संख्या को वापिस लिए बिना प्रतिवादी बैंक के लिए अधिकारी संवर्ग में जनशक्ति को शामिल करना संभव नहीं है।"

प्रोत्साहनों का अन्दानः

प्रतिवादी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1991 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी एक पुरस्कार के संदर्भ में, जिसे ०१-०९-१९८७ से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था, अधिकारी संवर्ग (किनिष्ठ प्रबंधन-1) में 23 रिक्तियों और क्षेत्र पर्यवेक्षक संवर्ग में 45 रिक्तियों (जिन्हें तब से अधिकारी संवर्ग में विलय कर दिया गया है) को बैंक में कार्यरत पात्र क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों और क्लर्कों में से आंतरिक पदोन्नित द्वारा भरे जाने के लिए पहचाना गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि उक्त पदों पर पदोन्नित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की निय्क्ति और पदोन्नित) नियम 1981 (नियम) के तहत की जाती है।

इसके अलावा यह विवाद में नहीं है कि क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों या अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने के उद्देश्य से नियमों में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक थाः

" 5 (ख) (ii) पदोन्नति के लिएः

वरिष्ठ क्लर्क-सह-कैशियर के रूप में न्यूनतम चार वर्ष की सेवा के साथ वरिष्ठ क्लर्क-सह-कैशियर की पुष्टि।

या

(ख) छह साल की सेवा या तो पुष्टि की गई जूनियर क्लर्क-सह-कैशियर या जूनियर क्लर्क-सह-टाइपिस्ट या आशुलिपिक या स्टेरो टाइपिस्ट के रूप में या पुष्टि की गई वरिष्ठ या किनष्ठ क्लर्क-सह-कैशियर के रूप में, जैसा भी मामला हो। वर्ष बैंक के बाद पहले छह वर्षों के लिए, क्षेत्र पर्यवेक्षक के पद केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे और इन पदों का पदोन्नित कोटा काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और बाद के वर्षों में पदोन्नित द्वारा पूरा किया जाएगा। जिस वर्ष पदोन्नित कोटा में बैक लॉग, यदि कोई हो, समाप्त हो जाता है, तो खुले बाजार से ५० प्रतिशत भर्ती पदोन्नित द्वारा ५० प्रतिशत के निर्धारित कोटा का पालन किया जाएगा।

6 (ख) (ii) पदोन्नति के लिएः

क्षेत्र पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम पाँच साल की सेवा के साथ क्षेत्र पर्यवेक्षक की पुष्टि की गई । न्यूनतम सेवा की उपरोक्त शर्त शिथिलनीय है जैसा कि नीचे बताया गया है:

(i) जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी स्थापना के वर्ष के बाद तीन वर्ष पूरे नहीं किये हैं, वे अधिकारी संवर्ग में सभी रिक्तियों को केवल सीधी भर्ती द्वारा भरेंगे। (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्होंने अपनी स्थापना वर्ष के बाद तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन पांच वर्ष पूरे नहीं किए हैं, उस क्षमता में केवल राष्ट्रीय बैंक की पूर्व मंजूरी के साथ, न्यूनतम तीन साल का अनुभव रखने वाले बैंक, पुष्टि किये गये क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की पदोन्नति पर विचार कर सकते हैं। हालाँकि, यदि इस छूट के बाद भी उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंते हैं तो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियांं इस प्रकार भरी गई रिक्तियों को काल्पनिक रूप से अगले वर्षों तक आगे बढ़ाया जाएगा जब तक कि पिछला बैक लॉग, यदि कोई हो, साफ नहीं हो जाता। इसके बाद, खुले बाजार से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा पचास प्ररतिशत के निर्धारित कोटा का पालन किया जाएगा।"

पदोन्नति के लिए पात्र उम्मीदवारों को नियमों के नियम 10 (1) (बी) के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के अधीन किया गया था, जिसके अनुसार आगे चलकर नियुक्त पर सवाल उठाये गये थे

विस्थापनः

ऐसा प्रतीत होता है कि पर्तिवादी बैंक ने शुरू में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 'अधिकारियों'के 8 पद और पर्यवेक्षकों के पदों के लिए 13 पद आरक्षित किए थे। वाउचर के अध्याय VII में अनारक्षित रूप से अनारक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। खंड 7.6 आरक्षण को आगे बढ़ाने का प्रावधान करता है जबकि खंड 7.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति के बीच आरक्षण के आदान-प्रदान इसके विपरीत से संबंधित है। खंड 7.9 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरिक्षत एकल रिक्ति के आरक्षण अगे्रषण का प्रावधान करता है जिसे सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है, जैसा भी मामला हो।

जहाँ तक आरक्षण की नीति को लागू करने में कठिनाई का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने 19 सितंबर, 1989 को एक पत्र द्वारा प्रतिवादी बैंक को मार्गदर्शन के लिए प्रायोजक बैंक से संपर्क करने की सलाह दी थी और केवल एक विशिष्ट मुद्दा उत्पन्न होने की स्थिति में, एक संदर्भ की आवश्यकता थी प्रायोजक बैंक के माध्यम से सरकार को दिया जायेगा। अनारक्षित करने के प्रसताव को मंजूरी देने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संपर्क किया गया है। प्रतिवादी बैंक किसी भी अनुसूचित जनजाति की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते ह्ये 18 अगस्त, 1990 के एक पत्र द्वारा पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी को ऐसी अन्मति दी गई प्रस्ताव को भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया। अनारक्षित करने के प्रस्ताव को नाबार्ड ने भी अपने पत्र दिनांक 31 अगस्त, 1990 द्वारा मंजूरी दे दी। जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया था, केंद्र सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी।

एक मुद्दे के रूप में आरक्षण की अनुपस्थिति का प्रभावः

उच्च न्यायालय के समक्ष अनारिक्षित करने का आदेश निश्चित रूप से जारी नहीं किया गया था। उपरोक्त तथ्य स्थिति में, हमारी राय है कि बैंक द्वारा अपनाई गई अनारिक्षित नीति को किसी विशेष चुनौती के अभाव में उच्च न्यायालय उक्त प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता था। यह सच है कि उच्च न्यायालय बाद की घटनाओं पर विचार करने का हकदार है, लेकिन यह केवल राहत देने के उद्देश्य से एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। लेकिन इस तरह की राहतें देते समय, उच्च न्यायालय ऐसी राहत देने पर विचार नहीं कर सकता था जिसके पक्षकारों की दलीलों में तथ्यात्मक आधार मौजूद नहीं था।

बार में यह स्वीकार किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं रखा था कि क्या बैंक ने खंड 7.7 की आवश्यकता का अनुपालन किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच आरक्षण का आदान-प्रदान इसके विपरीत। यह प्रश्न कि क्या कोई पात्र अनुसूचित जाति का उम्मीदवार अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध था या नहीं, मूलतः तथ्य का प्रश्न है। इस प्रकार, उक्त प्रश्न पर विचार करना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था।

अपीलकर्ताओं के रूप में अनुपस्थिति का प्रभावः

यह सच है कि पदोन्नित का आदेश किसी अशोक के कहने पर 1990 की रिट याचिका संख्या 1551 में प्रश्न में था, लेकिन उक्त रिट याचिका में भी पदोन्नतियों को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। जैसा कि संस्था के मामले में, अशोक द्वारा दायर रिट याचिका में भी, भारत संघ या नाबार्ड या प्रायोजक बैंक द्वारा पारित आरक्षण के आदेश पर प्रश्न नहीं उठाया गया था। मान जाता है कि उक्त रिट याचिकाओं में भारत संघ या नाबार्ड पक्षकार नहीं थे। किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना उसके विरूद्ध जारी किया गया आदेश, एक पक्ष के रूप में और, इस प्रकार, उसे स्नवाई का अवसर दिए बिना कानून की दृष्टि से ब्रा माना जाना चाहिए। इसमें अपीलकर्ता इस तथ्य को ध्यान में रखते ह्ए कि आक्षेपित निर्देश के कारण उनके पक्ष में प्रभावी पदोन्नति के आदेशों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था, वे निर्विवाद रूप से आवश्यक पक्षकार थे। इसलिए, उनकी अन्पस्थिति में, रिट याचिका पर प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं लिया जा सका। इसलिए, पक्षकारों के रूप में भी 'प्रोमोटियों'की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय के लिए आक्षेपित निर्णय के कारण निर्देश जारी करना स्वीकार्य नहीं था।

विश्लेषणः

संस्था का यह तर्क नहीं है कि पदोन्नित के लिये प्रक्रयाओं का पालन नहीं किया गया। पदोन्नित व्यक्ति, निश्चित रूप से पदोन्नित के लिए पात्र थे इस प्रकार, उन्हें कानूनी रूप से पदोन्नित किया गया था। एक मात्र प्रश्न जो उठाया गया था कि वह आरक्षण की प्रक्रया के संबंध में बैंक की ओर से अन्पालन से संबधि था। इसलिए, उच्च न्यायालय को उक्त प्रश्न पर केवल उस स्थिति में विचार करने की आवश्यकता थी, जब रिट याचिका में इसकी तथ्यात्मक नींव रखी गई हो। संस्था ने रिट याचिका में संशोधन के लिए कोई पूरक हलफनामा या आवेदन भी दायर नहीं किया, जिसने आरक्षण के आदेश को रद्द करने या रिट याचिका में अपीलकर्ताओं को पक्षकारों के रूप में लाने के संबंध में राहत की प्रार्थना की गई हो। आरक्षण के आदेश को किसी भी च्नौती के अभाव में और पदोन्नतियों को पक्षकारों के रूप में शामिल किए जाने के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्देश जारी नहीं किए जा सकते थे, खासकर तब जब यहां अपीलकर्ताओं को स्नवाई का अवसर नहीं दिया गया था। एक बार आरक्षण रद्द हो जाने के बाद, रिक्तियां सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरने के लिए उपलब्ध हो गईं इस प्रकार, प्रतिवादी बैंक को आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अन्सूचित जनजाति उम्मीदवारों की उपलब्धता के प्रश्न पर द्बारा जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय दवारा लिया गया यह विचार कि अनारक्षित किये जाने के बाद भी, बैंक को अनारक्षित रिक्तियों पर अन्सूचित जनजाति उम्मीदवारों की उपलब्धता की फिर से जांच करने की आवश्यकता थी, इसिलये, सही नहीं था, खासकर जब उच्च न्यायालय ने स्वयं पाया कि कट ऑफ तिथि 31.8.1989 बैंक द्वारा सही ढंग से तय किया गया था।

कट ऑफ डेटः

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि नियोक्ता को पदोन्नित को प्रभावित करने के उद्देश्य से एक तारीख तय करने की आवश्यकता होती है और इस प्रकार, जब तक कि निर्धारित कटऑफ तिथि को मनमाना या अनुचित नहीं माना जाता है, तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में खारिज कर दिया गया। मौजूदा मामले में, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तय की गई कट ऑफ तिथि, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था, को मनमाना, तर्कहीन, सनकी या मनमौजी नहीं कहा जा सकता था।

विद्वान वकील यह नहीं बता सके कि उक्त तिथि को कैसे मनमाना इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कहा जा सकता है।

यह विवाद में नहीं है कि कानून या कार्यकारी आदेश के प्रावधान के संदर्भ में एक कट-ऑफ तिथि प्रदान की जा सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम साधना चौधरी और अन्य में, [1996] 10 एस.सी.सी. 536 यह देखा गया है:

"21 यह स्थापित कानून है कि वर्गीकरण के आधार रूप में किसी तिथि के चुनाव को हमेशा मनमाना करार नहीं दिया जा सकता है। भले ही चुनाव के लिए कोई विशेष

कारण सामने ना हो, जब तक कि यह परिस्थितियों में मनमीजी या मनमीजी न दिखाया जाये। जब यह देखा जाता है कि एक रेखा या एक बिंदु अवश्य होना चाहिए और इसे सटीक रूप से ठीक करने का कोई गणितीय या तार्किक तरीका नहीं है, विधायिका या उसके प्रतिनिधि के निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए जब तक कि यह नहीं कहा जा सके कि यह उचित निशान से बहुत दूर है। (देखेः भारत संघ बनाम परमेश्वरन मैच वर्क्स, [1975] 1 एससीसी 305: [1975] 2 एस. सी. आर. 573, 579 पृष्ठ पर और सुषमा शर्मा (डॉ.) बनाम राजस्थान राज्य, [1985] पूरक एस. सी. सी. 45 [1985] एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 565: [1985] 3 एस. सी. आर. 243, 269 पृष्ठ पर.

यदि एक कट-ऑफ तिथि तय की जा सकती है, तो निर्विवाद रूप से जो लोग इसके दायरे में आते हैं, वे एक अलग वर्ग बना लेंगे। इस तरह के वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ उचित संबंध होता है जिसे बढ़ावा देने का बैंक का निर्णय होता है, जिसे कर्मचारी प्राप्त करना चाहता है। इस तरह के वर्गीकरण न तो एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने या कृतिम वर्गीकरण की श्रेणी में आयेंगे, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो।

जब भी ऐसी कट-ऑफ तिथि तय की जाती है, तो यह प्रश्न उठ सकता है कि कोई व्यक्ति इसलिए पीड़ित क्यों होगा क्योंकि वह कटआंफ तारीख के गलत पक्ष में आता है, लेकिन तथ्य है कि कुछ व्यक्तियों या समाज के एक वर्ग को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि इस प्रकार तय की गई कट-ऑफ तिथि संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. मोनतोश रॉय और अन्य, [1999] 2 एस. सी. सी 71, यह आयोजित किया गया था:-

"13. अखिल भारतीय रिजर्व बैंक सेवानिवृत्त अधिकारी संघ बनाम भारत संघ [1992] अनुपूरक 1 एस.सी.सी. 664: [1992] एस.सी.सी. (एल एंड एस) 517: (1992) 19 ए. टी. सी. 856 में इस न्यायालय की एक पीठ ने फैसले को अलग रखा नकारा में, [1983] 1 एस. सी. सी. 305: [1983] एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 145 और बताया कि यह सरकार पर है कि नई पेंशन योजना शुरू करने के मामले में कट-ऑफ तिथि तय करना सरकार का काम है। न्यायालय ने दावे को खारिज कर दिया वे व्यक्ति जो कट-

ऑफ तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो गये थे और नियोक्ता से अपनी सेवानिवृत्ति लाभ पराप्त कर लिये थे। इस तरह का दृष्टिकोण भारत संघ बनाम पी. एन. मेनन, [1994] 4 एससीसी 68: [1994] एससीसी (एल एंड एस) 860 : (1994) 27 एटीसी 515 में लिया गया था। राजस्थान राज्य बनाम अमृत लाल गांधी, [1997] 2 एससीसी 342: [1997] एससीसी (एल एंड एस) 512: जे. टी. (1997) 1 एस. सी. 421 पी. एन. मेनन मामले (ऊपर) में फैसले का पालन किया गया और ये दोहराया गया कि पेंशन लाभों को संशोधित करने के मामलों में और यहां तक कि वेतनमान के संशोधन के संबंध में लाभ बढ़ाने के लिए कुछ तर्कसंगत या उचित आधार पर एक कट ऑफ तारीख तय की जानी चाहिए।

14. यू. पी. राज्य बनाम जोगेंद्र सिंह, [1998] 1 एस. सी. सी. 449: [1998] एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 300 इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने माना कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में पेश किए गए उदार प्रावधानों का ऐसे कर्मचारी द्वारा लाभ नहीं उठाया जा सकता है। उस स्थिति में कर्मचारी 12-4-1976 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गया।

बाद में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अतिरिक्त योग्यता सेवा का लाभ देेने के लिए अधिसूचना दिनांक 18-11-1976 द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन किया गया। न्यायालय ने माना कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अस्तित्व में आए उदारीकृत प्रावधान का लाभ प्राप्त पाने का हकदार नहीं है। इसी तरह का फैसला वी. कस्तूरी बनाम प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, [1998] 8 एस. सी. सी. 30: जेटी (1998) 7 एससी 147 में दिया गया था।

15. वर्तमान मामला पूरी तरह से ऊपर उल्लिखित अंतिम दो फैसलों द्वारा शासित होगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहला प्रतिवादी उस राहत का हकदार नहीं है, जिसकी उसने रिट याचिका में प्रार्थना की है।"

उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, A.P.S.I.D.C. तिमिटेड और ए.एन. आर.वी.आर. वरप्रसाद और अन्य, 2003(4) सर्वोच्च 245 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से निर्धारित 'कट ऑफ डेट' के संबंध में, यह कहा गया थाः

".... कर्मचारी खंड (i) के आधार पर अवधि के दौरान सेवा में बना रह सकता है लेकिन वह उस तारीख को नहीं

बदल सकता है जिस दिन वी. आर. एस. के तहत किसी कर्मचारी को मिलने वाले लाभों की गणना की जायेगी। खंड (सी) स्वयं इंगित करता है कि अंतिम बिंदु/तिथि के बाद वेतन में किसी भी वृद्धि को उस भुगतान की गणना के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। जिसके लिए कोई कर्मचारी वी. आर. एस. के तहत हकदार है।"

उच्च न्यायालय अपने आक्षेपित फैसले में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संस्था कट ऑफ तारीख तय करने में बैंक के अधिकारियों की ओर से किसी भी दुर्भावना को साबित करने में विफल रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, द्वेष की दलील को विशेष रूप से पेश किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए। यहां तक कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसी आवश्यकता का भी पालन नहीं किया गया है।

निष्कर्षः

उपरोक्त चर्चाओं का नतीजा यह है कि पदोन्नत व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में उच्च न्यायालय विवादित निर्देश जारी नहीं कर सकता था। इसके अलावा, आरक्षण रद्द करने का आदेश चुनौती के अधीन नहीं था।

इन अपीलों में, यह न्यायालय 13 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रभाव से चितिंत नहीं है। हालाँकि, हमें ध्यान देना चाहिए कि बार में यह कहा गया है कि उक्त रिट याचिकाओं का निपटारा केवल आक्षेपित निर्णय के आधार पर या उसके आधार पर किया गया था। उक्त रिट याचिकाओं में पारित आदेशों का क्या प्रभाव होगा, यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे निर्धारित करने के लिए हमें बुलाया गया है। हालांकि, यह बताना पर्याप्त है कि उक्त आदेशों के संबंध में भी उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने के अपेक्षित परिणाम सामने आने चाहिए उचित कार्यवाही में कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिये उच्च न्यायालय खुला होगा।

श्री गणपुले का इस आशय का निवेदन कि दोनों अपीलकर्ता और अनुस्चित जनजाति के उम्मीदवारों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जा सकता है कि 29 पद रिक्त पड़े हैं यह भी कोई मामला नहीं है जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा इन अपीलों में पहली बार किया जा सके। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वे 'अधिकारियों'के पद पर आगे कोई पदोन्नित करने की स्थिति में नहीं हैं। उपरोक्त स्थिति में, यह न्यायालय, बैंक पर अपने नीतिगत निर्णय को बदलने और अपने स्वयं के ही नीतिगत निर्णय का उल्लंघन करते हुये अन्स्चित जनजाति के उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए कोई

निर्देश जारी नहीं कर सकता हैं। इस मामले में उचित निर्णय लेना बैंक प्रायोजक और नाबार्ड पर निर्भर है।

उपर्युक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णयों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। जिसे तदनुसार रद्द कर दिया गया है। 2002 की सिविल अपील सं 4593-4594 और 4595-4596 की अनुमित है; जबिक 2002 की सिविल अपील सं. 4597 खारिज कर दी गई है। कोई लागत नहीं है।

सी. ए. सं. 4593-4594 / 2002 और सी. ए. सं. 4594-4596 / 2002 अनुमति प्राप्त सी. ए. सं. 4597/2002 खारिज कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनुभा सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा निष्पादन कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य हाेगा।